न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर
उपस्थितः–प्रतिभा भाग्यश्री उ०प्र०न्यायिक सेवा (UP3293)
वाद सं०–836/2016
सरकार बनाम जाकिर आदि
धारा–323, 504, 506 IPC
थाना तुर्कपट्टी, जिला कुशीनगर।

बयान मुल्जिम

नाम–जाकिर अली पुत्र–अकबर अली उम्र–82 वर्ष
साकिन–पिपरा जटामपुर थाना–तुर्कपट्टी जिला–कुशीनगर

प्रश्न सं० 1– क्या आपके द्वारा वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर कथित उक्त अपराध कारित किया गया और क्या आप उस अपराध की प्रकृति और परिणाम को भली–भाँति समझ रहे हैं। जिसका आरोप आपके उपर लगाया गया है?
उत्तर –

प्रश्न सं० 2– क्या आप स्वेच्छया अपने अपराध संस्वीकृति कर रहे है?
उत्तर –

प्रश्न सं० 3 – क्या आपको कुछ और कहना है ?
उत्तर –

सुनकर तसदीक किया,

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **जाकिर अली पुत्र अकबर अली** न्यायालय समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त द्वारा समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपने जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि हम प्रार्थीगण गरीब व कमजोर व्यक्ति है। हम प्रार्थीगण मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। हम प्रार्थीगण को जुर्म संस्वीकृति के आधार पर मुकदमा समाप्त किया जाना आवश्यक है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पत्रावली सन 2003 से लम्बित है तथा एक्शन प्लान से संबंधित है। न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2026 को अभियुक्त के विरूद्ध NBW + 82 जारी किया गया, जिसके अनुपालन मे अभियुक्त दिनांक 10.06.2026 को न्यायालय समक्ष उपस्थित आये हैं तथा उनके द्वारा वारण्ट रिकाल कराया गया। तथा उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि हम प्रार्थीगण गरीब व कमजोर व्यक्ति है। हम प्रार्थीगण मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में अभियुक्त का जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्त **जाकिर अली पुत्र अकबर अली** को उसके जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर **वाद सं०–836/2016**, धारा 323, 504, 506 IPC के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त **जाकिर अली पुत्र अकबर अली** को जेल में बितायी गयी अवधि एवं अंकन 500/–रूपये के अर्थ दण्ड तथा न्यायालय उठने तक के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 10.06.2026

(**श्रीमती प्रतिभा भाग्यश्री**)
JO.Code–UP3293
ए०सी०जे०एम०,कसया,
जिला–कुशीनगर।

Digitally signed by Pratibha Bhagyashri
Date: 2026.06.10 16:28:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर
उपस्थितः–प्रतिभा भाग्यश्री उ०प्र०न्यायिक सेवा (UP3293)
वाद सं०–836/2016
सरकार बनाम जाकिर आदि
धारा–323, 504, 506 IPC
थाना तुर्कपट्टी, जिला कुशीनगर।

बयान मुल्जिम

नाम–शमशाद अली पुत्र–जाकिर अली उम्र–54 वर्ष
साकिन–पिपरा जटामपुर थाना–तुर्कपट्टी जिला–कुशीनगर

प्रश्न सं० 1– क्या आपके द्वारा वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर कथित उक्त अपराध कारित किया गया और क्या आप उस अपराध की प्रकृति और परिणाम को भली–भाँति समझ रहे हैं। जिसका आरोप आपके उपर लगाया गया है?
उत्तर –

प्रश्न सं० 2– क्या आप स्वेच्छया अपने अपराध संस्वीकृति कर रहे है?
उत्तर –

प्रश्न सं० 3 – क्या आपको कुछ और कहना है ?
उत्तर –

सुनकर तसदीक किया,

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **शमशाद अली पुत्र जाकिर अली** न्यायालय समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त द्वारा समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपने जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि हम प्रार्थीगण गरीब व कमजोर व्यक्ति है। हम प्रार्थीगण मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। हम प्रार्थीगण को जुर्म संस्वीकृति के आधार पर मुकदमा समाप्त किया जाना आवश्यक है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पत्रावली सन 2003 से लम्बित है तथा एक्शन प्लान से संबंधित है। न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2026 को अभियुक्त के विरूद्ध NBW + 82 जारी किया गया, जिसके अनुपालन मे अभियुक्त दिनांक 10.06.2026 को न्यायालय समक्ष उपस्थित आये हैं तथा उनके द्वारा वारण्ट रिकाल कराया गया। तथा उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि हम प्रार्थीगण गरीब व कमजोर व्यक्ति है। हम प्रार्थीगण मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में अभियुक्त का जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्त **शमशाद अली पुत्र जाकिर अली** को उसके जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर **वाद सं०–836/2016**, धारा 323, 504, 506 IPC के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त **शमशाद अली पुत्र जाकिर अली** को जेल में बितायी गयी अवधि एवं अंकन 500/–रूपये के अर्थ दण्ड तथा न्यायालय उठने तक के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 10.06.2026

(**श्रीमती प्रतिभा भाग्यश्री**)
JO.Code–UP3293
ए०सी०जे०एम०,कसया,
जिला–कुशीनगर।

न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर
उपस्थितः–प्रतिभा भाग्यश्री उ०प्र०न्यायिक सेवा (UP3293)
वाद सं०–836/2016
सरकार बनाम जाकिर आदि
धारा–323, 504, 506 IPC
थाना तुर्कपट्टी, जिला कुशीनगर।

बयान मुल्जिम

नाम–फिरोज आलम पुत्र–जाकिर अली उम्र–47 वर्ष
साकिन–पिपरा जटामपुर थाना–तुर्कपट्टी जिला–कुशीनगर

प्रश्न सं० 1– क्या आपके द्वारा वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर कथित उक्त अपराध कारित किया गया और क्या आप उस अपराध की प्रकृति और परिणाम को भली–भाँति समझ रहे हैं। जिसका आरोप आपके उपर लगाया गया है?
उत्तर –

प्रश्न सं० 2– क्या आप स्वेच्छया अपने अपराध संस्वीकृति कर रहे है?
उत्तर –

प्रश्न सं० 3 – क्या आपको कुछ और कहना है ?
उत्तर –

सुनकर तसदीक किया,

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **फिरोज आलम पुत्र जाकिर अली** न्यायालय समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त द्वारा समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपने जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि हम प्रार्थीगण गरीब व कमजोर व्यक्ति है। हम प्रार्थीगण मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। हम प्रार्थीगण को जुर्म संस्वीकृति के आधार पर मुकदमा समाप्त किया जाना आवश्यक है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पत्रावली सन 2003 से लम्बित है तथा एक्शन प्लान से संबंधित है। न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2026 को अभियुक्त के विरूद्ध NBW + 82 जारी किया गया, जिसके अनुपालन मे अभियुक्त दिनांक 10.06.2026 को न्यायालय समक्ष उपस्थित आये हैं तथा उनके द्वारा वारण्ट रिकाल कराया गया। तथा उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि हम प्रार्थीगण गरीब व कमजोर व्यक्ति है। हम प्रार्थीगण मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में अभियुक्त का जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्त **फिरोज आलम पुत्र जाकिर अली** को उसके जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर **वाद सं०–836/2016**, धारा 323, 504, 506 IPC के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त **फिरोज आलम पुत्र जाकिर अली** को जेल में बितायी गयी अवधि एवं अंकन 500/–रूपये के अर्थ दण्ड तथा न्यायालय उठने तक के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 10.06.2026

(**श्रीमती प्रतिभा भाग्यश्री**)
JO.Code–UP3293
ए०सी०जे०एम०,कसया,
जिला–कुशीनगर।